

368

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल महोदय म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. /2017 निगरानी

म/निगरानी/भिण्ड/शुक्र 10/2017/01531

गुलाबचन्द्र पुत्र हुबलाल

निवासी ग्राम माहो जिला भिण्ड

हॉल विजय नगर आमखो ग्वालियर

....आवेदक

विरुद्ध

- 1 अशोक कुमार पुत्र सोबतसिंह
- 2 गुड्डी देवी पत्नी अशोक कुमार
- 3 महाराज सिंह पुत्र सोबतसिंह
- 4 मुकेश पुत्र
- 5 गनपत पुत्र कुंअरपाल
- 6 मीरा देवी बेबा झगन लाल जाटव
- 7 भीकमसिंह पुत्र हरनारायण
- 8 जयराम पुत्र हरनारायण
- 9 त्रिवेणी बेबा कैलाशनारायण
निवासी ग्राम माहो जिला भिण्ड
- 10 कमल पुत्र रामनारायण
- 11 शोभाराम पुत्र हरलाल
- 12 रामकटोरी पत्नी शोभाराम
निवासी ग्राम हरिराम का पुरा
जिला भिण्ड म.प्र.

.....अनावेदकगण

श्री इंद्रीवती
द्वारा आज दि 11/6/17 को
प्रस्तुत

11/6/17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध आदेश अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर
भिण्ड के प्र.क्र. 24/09-10 स्व.नि. पारित आदेश
दिनांक 20.02.2017 व नायब तहसीलदार वृत्त एडोरी
का प्रतिवेदन दिनांक 20.02.2017 के विरुद्ध।

3

- 2 -
न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

के मांक-दो / निगरानी / भिण्ड / भू.रा. / 2017 / 01531

गुलाबचन्द्र विरुद्ध अशोक कुमार आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमाषकों के हस्ताक्षर
11-03-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर भिण्ड, जिला-भिण्ड के प्र. क्र. 24/2009-10/स्व.निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20-02-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त चम्बल संभाग, चम्बल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 08-05-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p style="text-align: center;">(आर0के0 जेन) सदस्य 11.3.19</p>